न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री बिजेन्द्रसिंह, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
48 / 2024	प्रा.पत्र 251-A RTA	12.12.2024	09.01.2025

1. धन्नाराम पुत्र भूराराम जाति माली निवासी बूंटीया तहसील व जिला चूरू —प्रार्थी—

बनाम

1. भींवाराम पुत्र नेतराम जाति माली निवासी बूंटीया तहसील व जिला चूरू राज.
2. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा चूरू मैन, जरिये शाखा प्रबंधक
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू

—अप्रार्थीगण—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र राहड़ प्रार्थी
2. अधिवक्ता श्री विकास कुमार औझा अप्रार्थी सं. 01
3. पैरोकार राज अप्रार्थी संख्या 03

निर्णय

1. यहकि प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 01 ग्राम बूंटीया तहसील व जिला चूरू के स्थायी निवासी है। प्रार्थी के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग की कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 597 / 428 तादादी 4.0215 हैक्टेयर वाके रोही बूंटीया तहसील व जिला चूरू में स्थित चली आ रही है। प्रार्थी व अप्रार्थी के हक हिस्से की कृषि भूमि पूर्व में एक ही रकबा रहा है। उक्त खसरों का विभाजन होने के कारण हिस्से अलग अलग हो गये, रास्ता कायम नहीं किया गया।

2. यहकि प्रार्थी धन्नाराम अपनी खातेदारी कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 597 / 428 तादादी 4.0215 हैक्टेयर वाके रोही बूंटीया तहसील व जिला चूरू में जाने के लिये बूटीया—भामासी के कटाणी रास्ता खसरा 408 तापावरी 0.4808 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता से होकर जोहड़ पायतन खेत खसरा नम्बर 422 मे से खेत खसरा नम्बर 1023 / 424 की दक्षिणी सींव के चिपते—चिपते अपनी कृषि भूगि खेत खलश नम्बर 597 / 428 में पूर्व में संयुक्त हिस्सेदारी के अनुसार रास्ता चला आ रहा है, उक्त रास्ते से ही प्रार्थी अपने खेत में काश्त करने के लिये उंटगाड़ा ट्रक आदि लेकर इसी रास्ते से आवागमन करता चला आ रहा है। उक्त रास्ते से ही अपने खेत में अनाज, पशुचारा आदि लेकर अपने घर में आता चला आ रहा है। रास्ता एनेक्चर "ए" के अनुसार प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। नजरी नक्शा ए" के अनुसार मौके पर रास्ता चला आ रहा है। नजरी नक्शा अनेक्चर "ए" में जो लाल स्याही से अंकित है व प्रार्थना पत्र का भाग व जजू माना जाचे व समझा जाकर पढा जायें।

3. यहकि प्रार्थी के उपरोक्त खेत खसरा में जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं लगता है ना ही कोई अन्य नजदीकी कटाणी रास्ता है, जिसका उपयोग कर प्रार्थी अपने खेत में आ जा सके, और प्रार्थी अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 408 तादादी 0.4805 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता से होकर जोहड पायतन खेत खसरा नम्बर 422 मे से खेत खसरा सम्बर 1023 / 424 की दक्षिणी सीव के चिपते चिपते अपनी कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 597 / 428 में से होकर सदामत से आते जाते रहे है। उक्त रास्ता से प्रार्थी पैदल, ऊंटगाड़ा, ट्रेक्टर, ट्रोली, जीप, पिक—अप एवं अन्य साधनों से आवागमन करते चले आ रहे हैं। जो कास्त के समय इसी रास्ते से ट्रेक्टर ले जाकर अपनी कृषि भूमि की जुताई करवाता है, इसी रास्ते से [illegible] आवागमन करते रहे है तथा खेत कास्त करने के पश्चात अप[illegible] रास्ता से आवागमन करते चले आ रहे है तथा समय समय पर प्रार्थी [illegible] पिक—अप एवं अन्य साधनों से अपने अपने पशुओं के लिए हरा चारा एवं अन्य सामान लाता ले जाता [illegible] तथा खेत में से अनाज निकाल कर इसी रास्ते से लाते हैं, उक्त रास्ता से प्रार्थी आवागमन [illegible] के कारण मौके

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:25:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

पर उक्त रास्ता पूर्व में संयुक्त हिस्सेदारी के अनुसार से कायम चला आ रहा है। नजरी नक्शा में अंकित रास्ते से आवागमन चला आ रहा है, कभी कोई व्यवधान नहीं रहा है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत में जाने का, आवागमन का अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं हैं, यही एक मात्र रास्ता है।

4. यहकि अप्रार्थीगण बहुत ही झगडालु किस्म के व्यक्ति है, जो उक्त रास्ता को बंद करने पर आमादा है तथा अप्रार्थीगण प्रार्थी के आवागमन में व्यवधान पैदा करने लगे हैं तथा उक्त रास्ते से आवागमन को लेकर अप्रार्थीगण आवागमन में अवरोध पैदा करने के लिए रास्ते से आवागमन करते समय बेवजह ही प्रार्थी को परेशान करते हैं तथा उक्त रास्ते से आवागमन करने से प्रार्थी एवं उनके वारिसान को टोकते हैं। उक्त रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है। उक्त रास्ता केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नही है, बल्कि उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता मौजुद ही नही है, वैकल्पिक कोई रास्ता नही है। उक्त रास्ता लघुतम है।

5. यहकि वादगत रास्ता का तमाम राजस्व अभिलेख राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय चूरू के पावर व पजेशन में है तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार होने की सूरत में राजस्व रिकार्ड में रास्ता अंकन भी तहसीलदार महोदय चूरू के माध्यम से होना है, इसलिये प्रार्थना पत्र में राजस्थान सरकार को पक्षकार अप्रार्थी संख्या 03 बनाया गया है। प्रार्थना पत्र में राजस्थान सरकार के हितो पर कोई प्रतिकूल असर नहीं डालने वाला अनुतोष नहीं चाहा गया है, इसलिये धारा 80 जाप्ता दीवानी के नोटिस दिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

6. यहकि पक्षकारान का निवास स्थान व रास्ते का विवाद इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का होने से उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 597/428 तादादी 4.0215 हैक्टेयर वाके रोही बूंटीया तहसील व जिला चूरू में जाने के लिये खसरा नम्बर 408 तादादी 0.4805 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता से होकर जोहड पायतन खेत खसरा नम्बर 422 में से खेत खसरा नम्बर 1023/424 की दक्षिणी सींव की तरफ 2 गंठा का रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन व नक्शा एनेक्चर "ए" में तरमीम किया जावें। श्रीमानजी की बड़ी कृपा होगी। प्रार्थना–पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता विकास औझा ने वकालतनामा पेश किया तथा अंकित किया यदि प्रार्थना–पत्र के अनुसार रास्ता कायम किया जाता है तो हमें कोई आपति नहीं है। जिस पर तहसीलदार चूरू से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई तहसीलदार चूरू से प्राप्त रिपोर्ट निम्नानुसार है।

1. मौका रिपोर्ट खातेदारों की उपस्थिति में तैयार किया गया है
2. आवेदक धन्नाराम के खेत में आवागमन के लिए अन्य रास्ता नहीं है।
3. प्रस्तावित रास्ता आवेदक की सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है।
4. आवेदक द्वारा प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 1023/424 की दक्षिणी सीमा में पानी की कुण्ड बना हुआ है उसे छोड़कर नजरी नक्शा बनाया हुआ है। जिसमें कोई निर्माण कार्य नहीं है।
5. खसरा नम्बर 597/428 के [illegible] के जाने हेतु खसरा नम्बर 597/428 की दक्षिण सीमा से लगभग 60 मीटर दूर [illegible] जाता है जो कि खसरा नम्बर 426 व 661/631 में से होकर [illegible]राम जाति ब्राह्मण जो कि रास्ता देने हेतु सहमत नहीं [illegible]/425 के खातेदार भी सहमत नहीं है खसरा नम्बर 597/428 की पश्चिम सीमा के [illegible]रे खसरा नम्बर 1023/424 के खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:25:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

भींवारा/नेतराम के रास्ते देने हेतु सहमत है जिसकी दूरी लगभग खसरा नम्बर 422 (गै.मु. रास्ता) से 135 मीटर दूरी पर है।

6. प्रार्थी तथा अप्रार्थी दोनों रास्ता देने हेतु सहमत है।

7. प्रस्तावति रास्ता में कोई भी निर्माण कार्य नहीं है।

अप्रार्थी ने उपस्थित होकर शपथ पत्र पेश किया कि मुझे रास्ते के बदले में कोई प्रतिफल की आवश्यकता नहीं है।

रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें पाया कि

इस दस्तावेज़ में एक कृषि भूमि से संबंधित रास्ते के विवाद के बारे में विवरण दिया गया है। इसमें प्रार्थी (धन्नाराम) ने यह दावा किया है कि उसके पास एक कृषि भूमि है (खसरा नम्बर 597/428), जिसे वह एक विशेष रास्ते से पहुंचता है। यह रास्ता खसरा नम्बर 408, 422 और 1023/424 से होकर जाता है। प्रार्थी का कहना है कि यह रास्ता उसकी कृषि कार्यों के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसके अलावा कोई अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं है।

अप्रार्थी (जो रास्ते को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं) इस रास्ते को अवरुद्ध कर रहे हैं, जिससे प्रार्थी की परेशानी हो रही है। इस दस्तावेज़ में यह भी उल्लेख किया गया है कि रास्ते का विवाद राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करने के लिए न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्रस्तावित रास्ता किसी प्रकार के निर्माण कार्य से मुक्त है और इसे राजस्व रिकॉर्ड में जोड़ा जा सकता है। तहसीलदार की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी के पास कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है, जबकि अप्रार्थी इस रास्ते के बदले कोई मुआवजा नहीं मांगते हैं।

निर्णयः

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, न्यायालय ने निर्णय लिया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाए और अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1023/424 से आम रास्ता काटने की स्वीकृति दी जाए। साथ ही, यह रास्ता राजस्व अभिलेख में भी दर्ज किया जाएगा। इस निर्णय से ग्रामवासियों और प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता पूरी होगी और कृषि कार्यों में आने वाली कठिनाइयों का समाधान होगा।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए व नियम 70 (1)(1) आपसी सहमति के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकृत किया जाकर अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1023/424 रोही ग्राम बूंटिया से प्रस्तावित रास्ता तहसीलदार चूरू की रिपोर्ट एवं संलग्न नक्शानुसार काटा जाने और इसे राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार चूरू की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट व नजरी नक्शा भविष्य में निर्णय का भाग माना जावेगा। रिपोर्ट में प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुसार खाता संख्या 01 में प्रविष्टि दर्ज की जाकर राजस्व रिकॉर्ड नक्शा एक्स में रास्ते की तरमीम की जावे।

तहसीलदार चूरू को आदेश दिया जाता है कि वह इस मार्ग को राजस्व अभिलेख में दर्ज करें और इसे कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक [illegible] करें।

आदेश आज दिनांक 09.01.2025 [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:25:55 IST
Reason: SelfAttested

(बिजेन्द्रसिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी,चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)